

संख्या-240329/XXXIV-02/2024/39068/01/2001

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद,

झांझरा, देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक: 17 सितम्बर, 2024

विषय:-स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) में रिक्त फ़ीज पदों को अनफ़ीज किये जाने के साथ-साथ सीधी भर्ती की कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24356/वि0प्रौ0प0/सचि0/2022-23, दिनांक 29.08.2023, पत्र संख्या-24578/वि0प्रौ0प0/सचि0/2022-23, दिनांक 27.09.2023 एवं पत्र संख्या-25147/वि0प्रौ0प0/सचि0/24/2023-24, दिनांक 30.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के पदीय ढांचे में सृजित 41 पदों के सापेक्ष रिक्त 06 फ़ीज पदों (परियोजना अधिकारी-01, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-01, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-02, लेखाकार-01 तथा कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक-01) को अनफ़ीज कर भर्ती की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागान्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के कार्मिकों को शासनादेश संख्या-22/XXXVIII/2018/33/2018, दिनांक 07.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कतिपय शर्तों में से शर्त संख्या/बिन्दु संख्या-3 "उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वर्तमान में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को फ़ीज करते हुए रिक्त पद पर भर्ती/चयन की कार्यवाही न की जायेगी। जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कार्यवाही की जायेगी। जिन पदों पर आउटसोर्स/संविदा आधार पर कार्य लिया जा रहा है, ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 111/XXX(2)/2018/30(12)/2018, दिनांक 27.04.2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।" के अधीन सातवें वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

3- अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07.02.2019 के शर्त संख्या/बिन्दु संख्या-3 में आंशिक संशोधन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागान्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) के पदीय ढांचे के शासनादेश संख्या-494/XXXVIII/09-01/2001 TC, दिनांक-10 दिसम्बर, 2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सृजित 41 पदों के सापेक्ष निम्नांकित रिक्त 06 फ़ीज पदों को अनफ़ीज किये जाने के

29/2024

साथ-साथ अनफ्रीज पदों पर सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल एवं वेतनमान	रिक्त फ्रीज पदों की संख्या जिन्हें अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी है।
1.	परियोजना अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11: रु. 67,700-2,08,700	01
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-11: रु.67,700-2,08,700	01
3.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6: रु.35,400-1,12,400	02
4.	लेखाकार	वेतन मैट्रिक्स लेवल-6: रु.35,400-1,12,400	01
5.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	वेतन मैट्रिक्स लेवल-5: रु. 29,200-92,300	01
			कुल पद 06

4- उक्त शासनादेश को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5- उक्त पदों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-23 के लेखाशीर्षक "3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास, 07-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता, 05-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-238154/XXVII(7)/2024, दिनांक 05 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Nitesh Kumar

Jha

(Date: 17-09-2024 13:09:45)

सचिव।

संख्या- XXXIV-02/2024/39068/01/2001. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरोय भवन, माजरा, देहरादून।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Rajnish Jain

Date: 17-09-2024 17:49:01

(रजनीश जैन)

उप सचिव,

